

उत्तर प्रदेश शासन
गृह(पुलिस)अनुभाग-4
संख्या-172ख/छ:-पु-4-16-20(रिट) / 02
लखनऊ ::दिनांक ::28 जून , 2016
अधिसूचना

चूंकि राज्यपाल की राय है कि लोक महत्व के मामले अर्थात् स्वर्गीय गुमनामी बाबा उर्फ भगवान जी की पहचान के सम्बन्ध में जो रामभवन फैजाबाद में रहते थे और जिनका अंतिम संस्कार दिनांक 18 सितम्बर 1985 को किया गया था और रिट याचिका संख्या-929(एम/बी)/1986, मिस ललिता बोस और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य के साथ सम्बद्ध रिट याचिका संख्या-10877(एम/बी)/2010 सुभाष चन्द्र बोस, राष्ट्रीय विचार केन्द्र, फैजाबाद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 31-01-2013 में दिये गये निर्देश के अनुसार एक जाँच कराना आवश्यक है।


2- अतएव, अब जाँच आयोग अधिनियम, 1952 (अधिनियम संख्या 60, सन् 1952) की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल, न्याय मूर्ति (सेवानिवृत्त) श्री विष्णु सहाय, भवन संख्या-सी-4, निराला नगर, लखनऊ की अध्यक्षता में एक जांच आयोग नियुक्त करते हैं। आयोग का मुख्यालय लखनऊ में होगा और कैम्प कार्यालय फैजाबाद में होगा।

3- आयोग उक्त स्वर्गीय गुमनामी बाबा उर्फ भगवान जी के बारे में जाँच करेगा और राज्य सरकार को रिपोर्ट करेगा।

4- राज्यपाल, अग्रतर, सचिव (सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश) और उनकी सहायता के लिये सम्बन्धित क्षेत्र के विशेषज्ञों के नामों की संस्तुति के लिये आयोग के अध्यक्ष को प्राधिकृत करते हैं और ऐसी संस्तुति पर सचिव/सदस्य/सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जायेगी।


5- राज्यपाल की राय है कि जाँच की प्रकृति और मामले की अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, ऐसा करना आवश्यक है, अतएव उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन अग्रतर निदेश देते हैं कि उक्त धारा (5) की उपधारा (2), (3), (4) और (5) के उपबन्ध इस आयोग पर लागू होंगे।

6- आयोग इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से छः महीने की अवधि के भीतर जाँच पूर्ण करेगा और इस अवधि में कोई परिवर्तन राज्य सरकार के आदेश पर होगा।
संलग्नक: यथोक्त।


(देबाशीष पण्डा)
प्रमुख सचिव।


संख्या-172ख(1)/छ:-पु-4-16, तददिनांक।

प्रतिलिपि अधिसूचना के अंग्रेजी अनुवाद सहित संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0 ऐशबाग, लखनऊ को दिनांक जून, 2016 के असाधारण गजट में विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड (ख) परिणियत आदेश के अन्तर्गत प्रकाशनार्थ प्रेषित। अधिसूचना की छपी हुई 200 प्रतियां गृह (पुलिस) अनुभाग-4 को यथाशीघ्र उपलब्ध करायी जाएं।

आज्ञा से,

(अखिलेश त्रिवेदी)
उप सचिव।

संख्या-1720 ख (2) / छः-पु-4-16, तददिनांक।

- उपर्युक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
- 1- श्री विष्णु सहाय, न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद निवासी-सी-104, निशालानगर, (सरस्वती शिशु मन्दिर के पास) लखनऊ।
 - 2- मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
 - 3- प्रमुख सचिव/सचिवगण मा० मुख्य मंत्री जी, उ०प्र० शासन।
 - 4- पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ।
 - 5- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
 - 6- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
 - 7- जोनल पुलिस महानिरीक्षक, लखनऊ, फैजाबाद।
 - 8- परिक्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक, लखनऊ, फैजाबाद।
 - 9- जिलाधिकारी/जनपद प्रभारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद-
फैजाबाद/लखनऊ।
 - 10- नियुक्ति अनुभाग-4
 - 11- न्याय (लेखा) अनुभाग।
 - 12- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12
 - 13- निबन्धक, मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद/लखनऊ।
 - 14- गृह (पुलिस) अनुभाग-7
 - 15- ज्येष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
 - 16- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(अखिलेश त्रिवेदी)
उप सचिव।